



इकाई- 1

Unit - 1

भारतीय संविधान और
धर्मनिरपेक्षता

The Indian Constitution
and Secularism

अध्याय- 1

भारतीय संविधान

The Indian Constitution

CLASS

VIIIth

(Polity)

NCERT

Based



By : Karan Sir

इकाई - 1- भारतीय
संविधान और धर्मनिरपेक्षता

अध्याय- 1


भारतीय संविधान

1A 95 → 9 Dec 1946

11. Delhi Central Hall

पिपेटी
Constitutional
Assembly





भारतीय संविधान

नियम

इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। आपमें से ज्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में जरूर सुना होगा। बहुतों ने खेला भी होगा। जैसा कि इसके नाम से ही अंदाजा हो जाता है, यह खेल पैरों से संबंधित है। फुटबॉल का एक नियम यह है कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बाँह से नहीं छू सकता। अगर किसी खिलाड़ी की बाँह गेंद को छू जाती है तो इसे फाउल या गलत माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबाल को हाथों में लेकर एक-दूसरे को थमाने लगें तो उस


Indian Constitution

In this chapter, we are going to begin with football, a game many of you have probably heard of, or even played. As the name suggests, this is a game that involves the players' feet. According to the rules of football, if the ball touches the arm of any player (except the goalkeeper), then this is considered a foul. So if players start holding the football in their hands and passing it around, then they are not playing football any more.




- Foul -

खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी कुछ तय नियम होते हैं। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग-अलग खेलों के बीच फ़र्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम (Constitutive rules) होते हैं। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग-अलग समाजों के बीच फ़र्क पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग-अलग समुदाय एक साथ रहते हैं। वहाँ नियमों को आम सहमति के ज़रिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज़ में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है।



Similarly other games, such as hockey or cricket, also have rules according to which they are played. Each of these rules helps define the game, and helps us distinguish one game from another. As these are fundamental to the game, we can also call them the constitutive rules of the game. Like these games, a society also has constitutive rules that make it what it is and differentiate it from other kinds of societies. In large societies in which different communities of people live together, these rules are formulated through consensus, and in modern countries this consensus is usually available in written form. A written document in which we find such rules is called a Constitution.





~ 24

✓ 26 Nov

✓ 26 Jan



कक्षा 6 और 7 में भी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। इन किताबों को पढ़कर क्या कभी यह सवाल आपके भीतर पैदा हुआ कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि संविधान कैसे लिखा गया? या उसे किसने लिखा था? इस अध्याय में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में इनमें से कुछ बातों पर विशेष जोर दिया जाएगा।

किया



We have looked at the Indian Constitution in Classes VI and VII in our *Social and Political Life* textbooks. Have you ever wondered why we need a Constitution or been curious about how the Constitution got written, or who wrote it? In this chapter, we will discuss both these issues and also look at the key features of the Indian Constitution. Each of these features is crucial to the working of democracy in India and some of these will be the focus of different chapters in this book.

आज दुनिया के ज्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज़ उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपना इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही

✓ Today most countries in the world have a Constitution. While all democratic countries are likely to have a Constitution, it is not necessary that all countries that have a Constitution are democratic. The Constitution serves several purposes. First, it lays out certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in. Or, put another way, a Constitution tells us what

Democratic - Constitution

China

बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं। उनके बीच कई बातें समान होती हैं लेकिन जरूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर एक-दूसरे से सहमत हों। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की प्रक्रिया के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए।

संविधान

the fundamental nature of our society is. A country is usually made up of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues. A Constitution helps serve as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. This includes not only the type of government but also an agreement on certain ideals that they all believe the country should uphold.


किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है?



बगल में दिए गए चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं।

1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की माँग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। केवल भारतीयों का लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह माँग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और ~~पहले~~ हुई और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। पृष्ठ 2 पर दिए गए चित्र में संविधान सभा के कुछ सदस्यों को दर्शाया गया है।


दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में आप इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे।



24 March 1946

Cabinet Mission
के विनियम

- P
- A
- S



संविधान सभा
↓
9 Dec 1946

LAWY कानून



freedom


आजादी

स्वतंत्रता

~~free from Rules~~

आप





Rules

Why Does a Country Need a Constitution?



The photo alongside shows Prime Minister Jawaharlal Nehru addressing the Constituent Assembly.

In 1934, the Indian National Congress made the demand for a Constituent Assembly.

During the Second World War, this assertion for an independent Constituent Assembly formed only of Indians gained momentum and this was convened in December 1946. The photo on page 2 shows some members of the Constituent Assembly.

Between December 1946 and November 1949, the Constituent Assembly drafted a constitution for independent India. Free to shape their destiny at last, after 150 years of British rule, the members of the Constituent Assembly approached this task with the great idealism that the freedom struggle had helped produce. You will read more about the work of the Constituent Assembly later in the chapter.

The photo alongside shows Prime Minister Jawaharlal Nehru addressing the Constituent Assembly.


नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जनसंघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल कायम रही। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेन्द्र ने गाँवों में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। फ़रवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते

पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन-चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह जनआंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुँच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी-मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। 2008 में, राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया।

2006 में लोकतंत्र की माँग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य ऊपर के चित्रों में हैं।



Democracy — राजतंत्र —



The country of Nepal has witnessed several people's struggles for democracy. There was a people's struggle in 1990 that established democracy that lasted for 12 years until 2002. In October 2002, King Gyanendra, citing the Maoist uprising in the countryside as his reason, began taking over different aspects of the government with the army's assistance.

The King then finally took over as the head of government in February 2005. In November 2005, the Maoists joined other political parties to sign a 12-point agreement. This agreement signalled to the larger public an imminent return to democracy and peace. In 2006, this people's movement for democracy began gaining immense force. It repeatedly refused the small concessions that the King made and finally in April 2006 the King restored the Third Parliament and asked the political parties to form a government. In 2008, Nepal became a democracy after abolishing the monarchy. The above photos show scenes from the people's movement for democracy in 2006.





इन बातों का क्या मतलब है, यह समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग-अलग परिस्थितियों पर गौर करें। दोनों घटनाएँ भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताजा इतिहास की घटना हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था। वहाँ राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का

Let us try and understand what we mean by this through two contrasting situations in the recent history of Nepal, a country that borders India on the north. Until recently, Nepal was a monarchy. The previous Constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the King. A people's movement in Nepal fought for several

पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगा। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जनांदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो वे नेपाल के लिए चाहते थे और जिनके लिए वे लड़ते रहे थे।

decades to establish democracy and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the powers of the King. The people had to write a new Constitution to establish Nepal as a democracy. The reason that they did not want to continue with the previous Constitution is because it did not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be, and that they have fought for.


✓
कुपात

जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। ऊपर के चित्र के साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है।

As in the game of football, in which a change in the constitutive rules will change the game altogether, Nepal, by moving from a monarchy to a democratic government, needs to change all its constitutive rules in order to usher in a new society. This is why, the people of Nepal adopted a new Constitution for the country in 2015. The caption alongside elaborates Nepal's struggle for democracy.

संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था का तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है।

Polity



The second important purpose of a Constitution is to define the nature of a country's political system. For example, Nepal's earlier Constitution stated that the country was to be ruled by the King and his council of ministers. In countries that have adopted a democratic form of government or polity, the Constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision-making within these societies.

अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि मूलभूत (**Constitutive**) शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने रोज़मर्रा के जीवन के आधार पर मूलभूत नियम का एक उदाहरण दें।

नेपाल की जनता एक नया संविधान क्यों चाहती थी?

Discuss with your teacher what you understand by the term 'constitutive'. Provide one example of 'constitutive rules' from your everyday life.

Why did the people of Nepal want a new Constitution?

fundamental

system

लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का ज़िम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे दी गई चित्रकथा-पट्ट में देखा जा सकता है -

In a democracy we choose our leaders so that they can exercise power responsibly on our behalf. However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority and the Constitution usually provides safeguards against this. This misuse of authority can result in gross injustice as demonstrated in the classroom situation below:

Power 2/1/72

0 0 0

सुरेश अपना कक्षा का मॉनीटर है। वह दबंग किरण का लड़का है। उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते। क्लास टीचर श्रीमती राव अक्सर किसी काम से बाहर जाना चाहती हैं। वह सुरेश को सब बच्चों का खयाल रखने के लिए बोल कर चली जाती हैं। सुरेश मौके का फ़ायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लगता है। श्रीमती राव के लौटने पर...


अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना पड़ेगा। तुम आज 100 बार लिखोगे कि 'मैं मॉनीटर को तंग नहीं करूँगा'।

लेकिन... मैडम... मैंने तो कुछ भी नहीं किया!

जब आप कक्षा से बाहर गई हुई थीं तो अनिल शोर मचा कर सबको परेशान कर रहा था। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी।





अनिल, आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत लगाने वाला हूँ।

लेकिन मैंने किया क्या है?



Suresh is the class monitor. He is a bully. His classmates are not too fond of him. Mrs Rao, the class teacher, has to leave the classroom on some urgent work. She asks Suresh to mind the class. Suresh starts picking on Anil.

When Mrs Rao returns to the class ...



लोकतांत्रिक समाजों में प्रायः संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खण्ड में दिए गए हैं। वहाँ आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है।

In democratic societies, the Constitution often lays down rules that guard against this misuse of authority by our political leaders. In the case of the Indian Constitution, about which you will read more later in this chapter, many of these laws are contained in the section on Fundamental Rights. You read about how the Indian Constitution guarantees the right to equality to all persons and says that no citizen can be discriminated against on grounds of religion, race, caste, gender, and place of birth. The Right to Equality is one of the Fundamental Rights guaranteed by the Indian Constitution.

1. मॉनीटर अपनी शक्ति का किस तरह दुरुपयोग कर रहा है?

2. नीचे दी गई किस परिस्थिति में मंत्री को अपनी सत्ता के दुरुपयोग का दोषी कहा जाएगा-

(क) जब वह ठोस तकनीकी कारणों से अपने मंत्रालय की किसी परियोजना को नामंजूर कर देता है;

(ख) जब वह अपने पड़ोसी को अपने सुरक्षाकर्मियों से पिटवाने की धमकी देता है;

(ग) जब वह थाने में फ़ोन करके पुलिस अधिकारियों पर दबाव डालता है कि उसके किसी दोषी रिश्तेदार के खिलाफ़ एफ.आई.आर. दर्ज न की जाए।

1. In what way is the class monitor misusing his power?

2. In which of the following situations is a minister misusing his power:

a) refuses to sanction a project of his ministry for sound technical reasons;

b) threatens to send his security staff to rough up his neighbour;

c) calls up the police station asking them not to register a complaint that is likely to be filed against his relative.



विश्वक इस विचार को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं।



हमें समय बर्बाद करने पड़ता है जो लड़के चाहते हैं क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में स्थान है।



में कक्षा के भीतर की एक घटना के आधार पर इस बात को समझाया गया है।

इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं जहाँ बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती और उनका नुकसान होता है। जैसा कि इस चित्रकथा-पट्ट से पता चलता है, बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का खयाल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है जिसे अंतर-सामुदायिक (Inter-community) वर्चस्व कहते हैं, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिसे अंतःसामुदायिक (Intra-community) वर्चस्व कहते हैं।

नोट्स


असम - Majumdar
हिन्दु

अल्पसंख्यक
Minorities

29
30

FR

अ.



अंतरसमुदाय

Inter Community

Community

अल्पसंख्यक
Minorities

Community

Intra
Community

Enter 0N!



17
15
14



Enter - 0N



03






Who is in a minority in the above storyboard? In what way is this minority being dominated by the decision taken by the majority?

Another important function that a Constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other, less powerful people or groups. The storyboard below demonstrates one such situation in the classroom.

Such unhealthy situations can occur in democratic societies too, where a majority can continuously enforce decisions that exclude minorities and go against their interests. As the above storyboard illustrates, every society is prone to this tyranny of the majority. The Constitution usually contains rules that ensure that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority. Another reason why we have a Constitution is precisely to prevent this tyranny or domination by the majority of a minority. This can refer to one community dominating another, i.e. inter-community domination, or members of one community dominating others within the same community, i.e. intra-community domination.

संविधान क्यों होना चाहिए – इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। यह बात सुनने में जरा अजीब लगती है। असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। इसे समझने के लिए नीचे के चित्रकथा-पट्ट को देखिए।

The third significant reason why we need a Constitution is to save us from ourselves. This may sound strange but what is meant by this is that we might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interests and the Constitution helps us guard against this. Look at the storyboard below to understand this better:





शबनम दुविधा में है। उसे कुछ तय करना है।

कल की परीक्षा के लिए मुझे दो अध्याय पढ़ने हैं।
लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टी.वी. कार्यक्रम आ रहा है। मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती। पर अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं ये दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊँगी।

शबनम, तुम परेशान लग रही हो... क्या बात है?

मुझे यह टी.वी. कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है। अगर आप लोग टी.वी. देखेंगे तो मेरा भी टी.वी. देखने का मन जरूर करेगा। मुझे एक बात सूझ रही है। अगर आज की रात कोई भी टी.वी. न देखे तो? तब शायद मेरा भी मन नहीं ललचाएगा।





संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुँच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगें कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। इसलिए अब चीजों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फ़ौजी शासन हो जाना चाहिए। इस भावना में बह कर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं

तानाशाह

Similarly, the Constitution helps to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the larger principles that the country believes in. For example, it is possible that many people who live in a democracy might come to strongly feel that party politics has become so acrimonious that we need a

कर पाएँगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस-नहस कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके ज़रिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है।

इस चर्चा से आप समझ जाएँगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।




strong dictator to set this right. Swept by this emotion, they may not realise that in the long run, dictatorial rule goes against all their interests. A good Constitution does not allow these whims to change its basic structure. It does not allow for the easy overthrow of provisions that guarantee rights of citizens and protect their freedom.

From the above discussion, you will understand that the Constitution plays a very important role in democratic societies.



शबनम इस बात पर क्यों खुश हो रही है कि उसने टी.वी. नहीं देखा? ऐसी स्थिति में आप क्या करते?



Why was Shabnam happy that she had not watched TV? What would you have done in a similar situation?

आइए अब निम्नलिखित उदाहरणों से जुड़े मूलभूत नियमों से तालिका को भरें। इसके ज़रिए इस बात को दोहराएँ कि लोकतांत्रिक समाजों में संविधान इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाता है-

उदाहरण	मूलभूत नियम
नेपाल में लोकतंत्र के लिए चले आंदोलन की सफलता के बाद वहाँ के लोगों ने एक नया संविधान अपनाया।	ये ऐसे आदर्श हैं जिनसे पता चलता है कि हम किस तरह की शासन व्यवस्था में रहना चाहते हैं।
सुरेश अपने सहपाठी अनिल को बेवज़ह परेशान कर रहा है।	
लड़कियों को बास्केटबॉल खेलने का मौका नहीं मिलता क्योंकि उनकी कक्षा में लड़कों की संख्या ज़्यादा है।	
शबनम ने टी.वी. देखने की बजाय अपने अध्यायों को दोहराने का फ़ैसला लिया।	

आइए अब भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का अध्ययन करें और इस बात को समझें कि उपरोक्त बिंदु कुछ खास आदर्शों और नियमों का रूप किस तरह ग्रहण करते हैं।

Let us recap the reasons why the Constitution plays an important role in democratic societies by recalling the constitutive rules that you have read about through these examples:

Example	Constitutive Rules
The people of Nepal adopted a new Constitution after the success of the people's movement for democracy.	It lays down ideals that define the kind of country that we want to live in.
Suresh, the class monitor wrongly picks on Anil, his classmate.	
The girls do not get to play basketball because the boys are a majority in class.	
Shabnam decides to revise her chapters instead of watching TV.	

Now let us try and understand the ways in which the above points get translated into certain ideals and rules by studying some key features of the Indian Constitution.



संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की एक ज़बरदस्त भावना थी। भावी संविधान के एक-एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई और सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे। उपरोक्त चित्र के मध्य में सरदार वल्लभभाई पटेल दिखाई दे रहे हैं जो संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे।



There was an extraordinary sense of unity amongst the members of the Constituent Assembly. Each of the provisions of the future constitution was discussed in great detail and there was a sincere effort to compromise and reach an agreement through consensus. The above photo shows Sardar Vallabhbhai Patel, a prominent member of the Constituent Assembly.

भारतीय संविधान - मुख्य लक्षण

बीसवीं सदी तक आते-आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना ज़रूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र

The Indian Constitution: Key Features

By the beginning of the twentieth century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. During the freedom struggle the nationalists had devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. Under the British, they had been forced to obey rules that they had had very little role in making.

भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या हों। यह काम किसी एक आदमी के तय करने का नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले तीन साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रहीं।

299 End.

2, 11, 18

6396K 7215 - 64

The long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. What remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. This was done not by one person but by a group of around 300 people who became members of the Constituent Assembly in 1946 and who met periodically for the next three years to write India's Constitution.

लंकि

संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे। उनकी न तो भाषा एक थी, न एक धर्म था और न ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था, उस समय हमारा देश भारी उथल-पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बँटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थीं कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएँगी।

These members of the Constituent Assembly had a huge task before them. The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions, and had distinct cultures. Also, when the Constitution was being written, India was going through considerable turmoil. The partition of the country into India and Pakistan was imminent, some of the Princely States remained undecided about their future,

जनता की सामाजिक-आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्याणशील दस्तावेज़ दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज़ तैयार किया उसमें सामाजिक-आर्थिक सुधारों के ज़रिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी ज़ोर दिया गया है।

and the socio-economic condition of the vast mass of people appeared dismal. All of these issues played on the minds of the members of the Constituent Assembly as they drafted the Constitution. They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflects a respect for maintaining diversity while preserving national unity. The final document also reflects their concern for eradicating poverty through socio-economic reforms as well as emphasising the crucial role the people can play in choosing their representatives.




29 Aug 1947

बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है।
 डॉ. अम्बेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है।
 लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हों अभी भी अनुसूचित जातियाँ बेफ़िक्र नहीं हो सकतीं क्योंकि इन कानूनों का संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़-चढ़कर शामिल हों।

Baba Saheb Dr Ambedkar is known as the Father of the Indian Constitution.
 Dr Ambedkar believed that his participation in the Constituent Assembly helped the Scheduled Castes get some safeguards in the draft constitution. But he also stated that although the laws might exist, Scheduled Castes still had reason to fear because the administration of these laws were in the hands of 'caste Hindu officers'. He, therefore, urged Scheduled Castes to join the government as well as the civil services.



पुस्तका



आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक-आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए जिनसे इस दस्तावेज़ को लिखने वाले जूझ रहे थे। इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह हल किया।



Listed below are the key features of the Indian Constitution. While reading these, keep in mind the above-mentioned concerns of diversity, unity, socio-economic reform and representation that the authors of this document were grappling with. Try and understand the ways in which they tried to balance these concerns with their commitment to transforming independent India into a strong, democratic society.



1. **संघवाद (Federalism)** - इसका मतलब है देश में एक से ज्यादा स्तर का सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है जिसके बारे में आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 7 की किताब में आपने राज्य सरकार के कामकाज को देखा था। इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे।

1. **Federalism:** This refers to the existence of more than one level of government in the country. In India, we have governments at the state level and at the centre. Panchayati Raj is the third tier of government and you have read about this in your Class VI book. We looked at the functioning of the state government in your Class VII book and this year we will read more about the central government.



✓ federation of states
✓ Union of states





भारत में संविधान
कैसे बना ?

संविधान 73 नियमों में

दिले जाये - संविधान बनाने

कैसे बना - सहमति

पंचायती राज



आज का दिन बहुत खास है। सभी लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। गाँव के विकास के लिए हमें मिलकर काम करना पड़ेगा।

राज्य शासन कैसे काम करता है



How the State Government Works



Panchayati Raj



Today is a special day. Everyone is sharing their views. For the development of our village, we need to work together.

How the State Government Works



भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले न लेने लगे। इसीलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सकें। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। राष्ट्रीय महत्त्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए

The vast number of communities in India meant that a system of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi and making decisions for everyone. Instead, it was important to have another level of government in the states so that decisions could be made for that particular area. While each state in India enjoys autonomy in exercising powers on certain issues, subjects of national concern require that all of these states

कानूनों को मानना पड़ता है। कार्यक्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियाँ दी गई हैं जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते। उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं।

follow the laws of the central government. The Constitution contains lists that detail the issues that each tier of government can make laws on. In addition, the Constitution also specifies where each tier of government can get the money from for the work that it does. Under federalism, the states are not merely agents of the federal government but draw their authority from the Constitution as well. All persons in India are governed by laws and policies made by each of these levels of government.

जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी तो सभा के सदस्य ए.के. अय्यर ने कहा था कि यह कदम "आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के ज़रिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। यह आम आदमी के कुशलक्षेम, जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देगी।"

ऑस्टिन, जी. 1966, दि इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन : कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन, क्लेरेंडन प्रेस, ऑक्सफोर्ड।

When the Constituent Assembly adopted the principle of universal adult franchise Shri A.K. Ayyar, a member, remarked that this was done "with an abundant faith in the common man and the ultimate success of democratic rule, and in the full belief that the introduction of democratic government on the basis of adult suffrage will bring enlightenment and promote the well-being, the standard of life, the comfort, and the decent living of the common man".

Austin, G. 1966. *The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation*. Clarendon Press, Oxford.

2. **संसदीय शासन पद्धति**- सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। कक्षा 7 की किताब के शुरू में कांता की कहानी दी गई थी जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी है। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे

2. **Parliamentary Form of Government:** The different tiers of government that you just read about consist of representatives who are elected by the people. Your Class VII book began with the story of Kanta who was standing in line to vote during an election. The

(i) Federalism \Rightarrow संघवाद \Rightarrow (UNION)

(ii) Parliamentary - संसदीय प्रणाली

Parliamentary
संघ

लोकसभा
सरकार \Rightarrow Responsible

75(3)


जनता का
सदस्य

(Parliamentary
सरकार)

PM
Real

India
UK

President / as
Nominee



- ① Responsible Govt ⇒ जिम्मेदार सरकार
- ② कम स्वामी less-stable -
- ③ नीतियां - धरिरे ⇒ - प्रभाविकता कम
- ④ देश के दो अहंपदा Two Head of the Nation

नीचे चित्र में दर्शाया गया है कि लोग अपना वोट डालने के लिए कतार में खड़े हैं।

The photo below shows people standing in line to cast their votes.



तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर-तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग और औरत-मर्द के फ़र्क पर आधारित ऊँच-नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक

Constitution of India guarantees universal adult suffrage for all citizens. When they were making the Constitution, the members of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class

मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों न हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतांत्रिक कार्यपद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में आप इसी पुस्तक की दूसरी इकाई में और विस्तार से पढ़ेंगे।

and gender hierarchies. This means that the people of India have a direct role in electing their representatives. Also, every citizen of the country, irrespective of his/her social background, can also contest in elections. These representatives are accountable to the people. You will read more about why representation is crucial to democratic functioning in Unit 2 of this book.

3. शक्तियों का बँटवारा- संविधान के अनुसार सरकार के तीन अंग हैं – विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं।

Executive
↓
कार्य

3. Separation of Powers: According to the Constitution, there are three organs of government. These are the legislature, the executive and the judiciary. The legislature refers to our elected representatives. The executive is a smaller group of people who are responsible for implementing laws and running the

Separation
|
प्राव्यकरण


कार्यपालिका
Executive


विधायिका
Legislature

Judiciary
-सायपालिका

Division of Powers


विभाजन





→ Separation
याद्वारे

✓ UPSC



✓ UPSC

न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है जिसके बारे में आप इस पुस्तक की इकाई 3 में पढ़ेंगे। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियाँ एक-दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस बँटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है।

government. The judiciary, of which you will read more in Unit 3 of this book, refers to the system of courts in this country. In order to prevent the misuse of power by any one branch of government, the Constitution says that each of these organs should exercise different powers. Through this, each organ acts as a check on the other organs of government and this ensures the balance of power between all three.



संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर न हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा ही करने लगे। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जिनके ज़रिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों को सीमित और नियंत्रित किया जा सके।



Members of the Constituent Assembly feared that the executive might become too strong and ignore its responsibility to the legislature. The Assembly, therefore, included a number of provisions in the Constitution to limit and control the action taken by the executive branch of government as a whole.

इस अध्याय में 'राज्य' शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। ध्यान रखें, इसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं है। जब हम 'राज्य' शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे 'सरकार' से भिन्न अर्थ में लेते हैं। 'सरकार' की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना। लेकिन चुनावों के ज़रिए सरकार बदल सकती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले **संप्रभु** लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार (या कार्यपालिका) राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है। उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि राज्य और सरकार के बीच क्या फ़र्क होता है।

The word 'State' is often used in this chapter. This does NOT refer to state governments. Rather when we use State, we are trying to distinguish it from 'government'. 'Government' is responsible for administering and enforcing laws. The government can change with elections. The State on the other hand refers to a political institution that represents a **sovereign** people who occupy a definite territory. We can, thus, speak of the Indian State, the Nepali State etc. The Indian State has a democratic form of government. The government (or the executive) is one part of the State. The State refers to more than just the government and cannot be used interchangeably with it.


Discuss the difference between State and Government with your teacher.

4. **मौलिक अधिकार**- मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की 'अंतरात्मा' भी कहलाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसीलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के **मनमाने** और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है।

12-35

4. Fundamental Rights: The section on Fundamental Rights has often been referred to as the 'conscience' of the Indian Constitution. Colonial rule had created a certain suspicion of the State in the minds of the nationalists and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of State power in independent India. Fundamental Rights, therefore, protect citizens against the **arbitrary** and absolute exercise of power by the State. The Constitution, thus, guarantees the rights of individuals against the State as well as against other individuals.

Fundamental Rights



Basic ✓

- 14-18 ⇒ समानता Equality
- 19-22 - स्वतंत्रता freedom
- 23-24
- 25-28
- 29-30
- 31x
- 32

भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार-

1. समानता का अधिकार

कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुँच का अधिकार होगा। रोज़गार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में इसी किताब में हम आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है।

2. स्वतंत्रता का अधिकार

इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा/संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने-जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार

संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मज़दूरी पर रखना अपराध है।

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार-प्रसार करने का अधिकार है।

5. सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार

संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई, सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने-अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं।

6. संवैधानिक उपचार का अधिकार

यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है।

The Fundamental Rights in the Indian Constitution include:

1. Right to Equality: All persons are equal before the law. This means that all persons shall be equally protected by the laws of the country. It also states that no citizen can be discriminated against on the basis of their religion, caste or sex. Every person has access to all public places including playgrounds, hotels, shops etc. The State cannot discriminate against anyone in matters of employment. But there are exceptions to this that you will read about later in this book. The practice of untouchability has also been abolished.

2. Right to Freedom: This includes the right to freedom of speech and expression, the right to form associations, the right to move freely and reside in any part of the country, and the right to practise any profession, occupation or business.

3. Right against Exploitation: The Constitution prohibits human trafficking, forced labour, and employment of children under 14 years of age.

4. Right to Freedom of Religion: Religious freedom is provided to all citizens. Every person has the right to practise, profess and propagate the religion of their choice.

5. Cultural and Educational Rights: The Constitution states that all minorities, religious or linguistic, can set up their own educational institutions in order to preserve and develop their own culture.

6. Right to Constitutional Remedies: This allows citizens to move the court if they believe that any of their Fundamental Rights have been violated by the State.

विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सकें। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है— पहला, हरेक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सकें और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हों जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है।

Moreover, the various minority communities also expressed the need for the Constitution to include rights that would protect their groups. The Constitution, therefore, also guarantees the rights of minorities against the majority. As Dr Ambedkar has said about these Fundamental Rights, their object is two-fold. The first objective is that every citizen must be in a position to claim those rights. And secondly, these rights must be binding upon every authority that has got the power to make laws.

मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति-निर्देशक तत्त्वों का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सकें। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियाँ बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखे।

In addition to Fundamental Rights, the Constitution also has a section called Directive Principles of State Policy. This section was designed by the members of the Constituent Assembly to ensure greater social and economic reforms, and to serve as a guide to the independent Indian State to institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses.

निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है –

- यदि 13 साल का एक बच्चा कालीन के कारखाने में मज़दूरी करता है।
- यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है।
- यदि किसी जनसमूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है।
- यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही है क्योंकि वह अधिकारी महिला है।

Which Fundamental Rights will the following situations violate:

- If a 13-year old child is working in a factory manufacturing carpets.
- If a politician in one state decides to not allow labourers from other states to work in his state.
- If a group of people are not given permission to open a Telugu-medium school in Kerala.
- If the government decides not to promote an officer of the armed forces for being a woman.



उपरोक्त तस्वीरों में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं। दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद हैं। सबसे निचले चित्र में दाएँ से बाएँ क्रम में ये लोग दिखाई दे रहे हैं : श्री जयरामदास दौलतराम, खाद्य एवं कृषि मंत्री; राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्री; डॉ. जॉन मथाई, वित्त मंत्री; सरदार वल्लभभाई पटेल, उपप्रधानमंत्री तथा उनके पीछे श्री जगजीवन राम, श्रम मंत्री खड़े हैं।

The above photos show various members of the Constituent Assembly signing a copy of the Constitution at its final session on 24 January 1950. The first photo (from top) shows Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru signing. The second photo is of Dr Rajendra Prasad, President of the Constituent Assembly. The last photo shows the following persons (from right to left): Shri Jairamdas Daulatram, Minister for Food and Agriculture; Rajkumari Amrit Kaur, Health Minister; Dr John Mathai, Finance Minister; Sardar Vallabhbhai Patel, Deputy Prime Minister and behind him Shri Jagjivan Ram, Labour Minister.

5. धर्मनिरपेक्षता- धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। इसके बारे में हम अगले अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे।

5. Secularism: A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. We will read more about this in the following chapter.

अब आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी-कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के ज़रिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। हम नेपाल में यह देख चुके हैं। वहाँ लोकतंत्र बनाने की ज़रूरत के साथ ही एक नए संविधान की ज़रूरत भी पैदा हो गई थी।

You now understand the ways in which a country's history often determines the kind of Constitution that a country adopts for itself. The Constitution plays a crucial role in laying out the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to, including the representatives that we elect to rule us. Just like in the game of football, a change of constitutive rules will affect the game. Indian Constitution has been amended over the years to reflect new concerns of the polity. Often a major change in the Constitution means a change in the fundamental nature of the country. We saw this in the case of Nepal and how it needed to adopt a new Constitution after it became a democracy.

ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया है वे कई बार काफी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती है। लेकिन अभी आप इस बारे में ज्यादा फ़िक्र न करें। इस पुस्तक के बाकी अध्यायों में और अगली कक्षाओं में भारतीय संविधान के इन सभी पहलुओं के बारे में आप लगातार सीखते जाएँगे। ठोस रूप से उनका अर्थ जान पाएँगे।

The different features of the Indian Constitution outlined above, involve complicated ideas that are often not easy to grasp. Don't worry too much about this for the moment. In the rest of the book as well as in your higher classes, you will read more about these different features of the Indian Constitution and understand more substantively what they mean.

संविधान में मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। अपने शिक्षक की सहायता से पता लगाएँ कि ये कर्तव्य कौन से हैं और लोकतंत्र में नागरिकों द्वारा इन कर्तव्यों का पालन करना क्यों महत्त्वपूर्ण है?

The Constitution also mentions Fundamental Duties. Find out with the help of your teacher what these include and why it is important for citizens in a democracy to observe these.

ग्यारह मौलिक कर्तव्यों में से प्रत्येक से संबंधित रेखाचित्र, तस्वीरें बनाएं अथवा उन पर कविताएं, गीत लिखें तथा कक्षा में इन पर चर्चा करें।

Illustrate each of the 11 Fundamental Duties with drawings, pictures, poems or songs and discuss them in the classroom.

अभ्यास

1. किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है?
2. नीचे दिए गए दो दस्तावेज़ों के हिस्सों को देखिए। पहला कॉलम 1990 का नेपाल के संविधान का है। दूसरा कॉलम नेपाल के ताज़ा संविधान में से लिया गया है।

1990 का नेपाल का संविधान
भाग-7: कार्यपालिका

अनुच्छेद 35: कार्यकारी शक्तियाँ
नेपाल अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियाँ महामहिम नरेश एवं मंत्रिपरिषद् में निहित होंगी।

2015 का नेपाल का संविधान
भाग-7: संघीय कार्यपालिका

अनुच्छेद 75: कार्यकारी शक्तियाँ
नेपाल की कार्यकारी शक्तियाँ, संविधान और कानून के अनुसार, मंत्रिपरिषद् में निहित होंगी।

Exercises

1. Why does a democratic country need a Constitution?
2. Look at the wordings of the two documents given below. The first column is from the 1990 Nepal Constitution. The second column is from the more recent Constitution of Nepal.

1990 Constitution of Nepal Part 7: Executive	2015 Constitution of Nepal Part 7: Federal Executive
Article 35: Executive Power: The executive power of the Kingdom of Nepal shall be vested in His Majesty and the Council of Ministers.	Article 75: Executive Power: The executive power of Nepal shall, pursuant to this Constitution and law, be vested in the Council of Ministers.

नेपाल के इन दोनों संविधानों में 'कार्यकारी शक्ति' के उपयोग में क्या फ़र्क दिखाई देता है? इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि नेपाल को एक नए संविधान की ज़रूरत है? क्यों?

3. अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश न होता तो क्या होता?
4. निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन हैं? इन स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्त्वपूर्ण है। इसका एक-एक कारण बताइए।

(क) एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं और उनमें से 20 पुरुष हैं।

(ख) एक शहर में 5 प्रतिशत लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं।

(ग) एक कारखाने के भोजनालय में 80 प्रतिशत कर्मचारी शाकाहारी हैं।

(घ) 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवारों से हैं।

What is the difference in who exercises 'Executive Power' in the above two Constitutions of Nepal?

3. What would happen if there were no restrictions on the power of elected representatives?
4. In each of the following situations, identify the minority. Write one reason why you think it is important to respect the views of the minority in each of these situations.
 - (a) In a school with 30 teachers, 20 of them are male.
 - (b) In a city, 5 per cent of the population are Buddhists.
 - (c) In a factory mess for all employees, 80 per cent are vegetarians.
 - (d) In a class of 50 students, 40 belong to more well-off families.

5. नीचे दिए गए बाएँ कॉलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है। दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने दो वाक्यों में लिखिए कि आपकी राय में यह आयाम क्यों महत्वपूर्ण है-

मुख्य आयाम	महत्त्व
संघवाद	
शक्तियों का बँटवारा	
मौलिक अधिकार	
संसदीय शासन पद्धति	

5. The column on the left lists some of the key features of the Indian Constitution. In the other column write two sentences, in your own words, on why you think this feature is important:


Key Feature	Significance
Federalism	
Separation of Powers	
Fundamental Rights	
Parliamentary Form of Government	

6. उन भारतीय राज्यों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएँ निम्नलिखित पड़ोसी देशों से लगती हैं।

(क) बांग्लादेश


(ख) भूटान

(ग) नेपाल



6. Write down the names of the Indian States, which share borders with the following neighbouring nations:

- (a) Bangladesh
- (b) Bhutan
- (c) Nepal





शब्द संकलन

मनमानापन - जब सब कुछ किसी के व्यक्तिगत फैसलों या पसंद-नापसंद से चलने लगता है तो उसे मनमानापन कहा जाता है। जहाँ नियम तय नहीं किए गए हों या जहाँ फैसलों का कोई आधार नहीं है, उसे ही मनमाना कहा जा सकता है।

आदर्श- जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है तो उसे आदर्श कहा जाता है।

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन- भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय उन्नीसवीं सदी में हुआ था। इस आंदोलन में हजारों मर्द-औरत ब्रिटिश शासन से लोहा लेने के लिए एकजुट हो गए थे। यह आंदोलन 1947 में भारत की आजादी में परिणत हुआ। इसी वर्ष की इतिहास की पाठ्यपुस्तक में इस आंदोलन को आप और अच्छी तरह से जानेंगे।

राज्य व्यवस्था (Polity)- इसका आशय एक ऐसे समाज से है जिसकी राजनीतिक संरचना व्यवस्थित है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्यव्यवस्था है।

संप्रभु- इस अध्याय के संदर्भ में स्वतंत्र जनता को संप्रभु कहा गया है।

मानव व्यापार- राष्ट्रीय सीमाओं के आर-पार विभिन्न चीजों की गैरकानूनी खरीद-बिक्री को अवैध व्यापार कहा जाता है। इस अध्याय में जिन मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, उनके संबंध में अवैध व्यापार का मतलब औरतों और बच्चों की गैरकानूनी खरीद-फ़रोख़्त से है जिसे मानव व्यापार कहा जाता है।

निरंकुशता- इसका मतलब सत्ता या अधिकारों के क्रूर एवं अन्यायपूर्ण इस्तेमाल से है।



Arbitrary: When nothing is fixed and is instead left to one's judgment or choice. This can be used to refer to rules that are not fixed, or decisions that have no basis etc.

Ideal: A goal or a principle in its most excellent or perfect form.

Indian national movement: The Indian national movement emerged in nineteenth-century India and saw thousands of men and women coming together to fight British rule. This culminated in India's independence in 1947. You will learn about this in greater detail in your history textbook this year.

Polity: A society that has an organised political structure. India is a democratic polity.

Sovereign: In the context of this chapter it refers to an independent people.

Human Trafficking: The practice of the illegal buying and selling of different commodities across national borders. In the context of Fundamental Rights discussed in this chapter, it refers to illegal trade in human beings, particularly women and children.

Tyranny: The cruel and unjust use of power or authority.

धन्यवाद